छत्तीसगढ़ शासन

जनशक्ति नियोजन विभाग
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण

रोजगार मेला

राजनांदगांव

दिनांक– 31.01.2011

स्थान – स्टेट स्कूल जी.ई. रोड़

एक अभियान

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में

स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु

रोजगार मेला

पृष्ठभूमि :–

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने शासकीय विभागों में भर्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं जिससे बड़ी सख्या में लोगों को शासकीय विभागों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

परन्तु प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों की उपस्थिति को देखते हुए सीमित उपलब्धता में शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। वर्तमान में प्रदेश के निजी क्षत्रे के प्रतिष्ठानों में रोजगार के 92 : अवसर उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरातं बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओ ं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदानकरने की शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करना, जनशक्ति नियोजन विभाग अंतर्गत स्थापित रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जा रहा है।

I –क्या है रोजगार मेलाः–

रोजगार मेला एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां रोजगार प्रदाता नियोजक एवं रोजगार इच्छुक आवेदक के मध्य जीवंत संपर्क एक ही स्थल पर स्थापित किया जाता है, और यह प्लेटफार्म जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार मेले स्थल के रुप में स्थापित इस प्लेटफार्म पर नियोजक अपने मापदंडों अनुसार स्वतंत्र रूप से योग्य उम्मीद्वारों का चयन करता है, वहीं रोजगार इच्छुक आवेदक भी अपनी योग्यता अनुसार नियोजन प्रतिष्ठानों का चयन स्वतंत्रता पूर्वक करता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी,समयबद्ध एवं स्वतंत्र होती है।

II-रिक्तियों की पूर्ति संबंधी शासकीय नीतियां एवं अधिनियम :–

निजी क्षत्रे के औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिष्ठानों की रिक्तियों की पूर्ति स्थानीय युवाओं के माध्यम से किये जाने विषयक राज्य एवं केन्द्र सरकार ने पूर्व में ही स्पष्ट नीति एवं अधिनियम बनाये है। निजी क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों के लिए शासन के नियमों अधिनियमों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी नई औद्योगिक नीति में तथा भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश हेतु लागू रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों संबंधी अनिवार्य अधिसचूना) अधिनियम 1959 के द्वारा रिक्तयों की पूर्ति विषयक प्रावधान बनाए है। उक्त दोनों ही नीति एवं अधिनियम में स्थानीय लोगों की भर्ती किया जाने संबन्धी स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सुलभ संदर्भ हेतु तत्वसंबंधी प्रावधानों को निम्नानुसार उल्लेखित किया जा रहा है।

..2..

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति के प्रावधानः—

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति में शासन द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए किये गये स्पष्ट प्रावधान निम्न प्रस्तुत हैः—

- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हते ु अनुदान/छूट/रियायतें उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90ः कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50ः तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यनूतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करें।
- राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मेगा उद्यागों को राज्य के तकनीकी एवं प्रबंधकीय संस्थानों में कैम्पस सलेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों संबंधी अनिवार्य अधिसचूना) अधिनियम 1959(**CNV Act-**) के प्रावधानः—

- भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित इस एक्ट की धारा 4 (1) एवं 4 (2) के द्वारानिजी क्षेत्र के समस्त नियोजन प्रतिष्ठानों के लिए जिनमें 25 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे नियोजन प्रतिष्ठान अपने स्थापना में होने वाली रिक्तियों की अधिसूचना अनिवार्यतः स्थानीय रोजगारकार्यालय को देंगें।
- उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने की दशा पर CNV एक्ट की धारा 7 (1)अन्तर्गत उल्लंघनकर्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध दंड़ का प्रावधान किया गया है।

शासन के समक्ष वर्तमान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन राज्य के निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार इन त्रुटियों पर अत्यंत गंभीर है तथा स्थानीय युवाओं के निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान करने हेतु पूर्णतया कृतसंकल्पित है। अतः शासन की मंशा की पूर्ति रोजगार मेलों के आयोजनों के माध्यम से किये जाने का प्रयास जारी है, जिसमे ं निजी क्षेत्रों का व्यापक सहयोग एवं समर्थन आवश्यक है।

III-रोजगार मेला एक लाभप्रद विकल्प (नियोजकों एवं राजे गार इच्छुकों के लिए)ः—

रोजगार मेली रोजगार प्रदाता नियोजक एवं रोजगार इच्छुक आवेदक दोनों के लिए ही सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि यह पारदर्शी एवं त्वरित प्रकिया है। रोजगार मेले के माध्यम से जहां नियोजक अनेक आवेदकों में से सर्वोत्तम का चुनाव त्वरित रूप से कर सकता है, वही रोजगार इच्छुक आवेदक भी उपलब्ध अनेक विकल्पों में से इच्छानुसार रोजगार प्रतिष्ठान का चयन कर सकता है।

..3...

नियोजकों के लिए लाभ :–

रोजगार मेले से नियोजकों को होने वाला प्रत्यक्ष लाभ निम्न हैः–

- नियोजकों को अपनी रिक्तियों के विज्ञापन में लगने वाले व्यय से मुक्ति मिलती है,साथ ही विज्ञापन के फलस्वरूप आने वाले आवेदन पत्रों पर श्रम साध्य कार्यवाही से भी मुक्ति मिलती है।
- विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ढेरों आवेदनों में से उचित आवेदक के चयन हेतु लगने वाले दीर्घ कालिक प्रक्रिया से बचाव होता है। रोजगार मेले पर नियोजक यही कार्य त्वरित रूप से कर सकता है, क्योंकि मेले स्थल पर नियोक्ता का आवेदक से जीवंत संपर्क स्थापित होता है।
- रोजगार मेले में चयन प्रक्रिया पूर्णताः स्वतत्रं , पारदर्शी एवं नियोजक द्वारा निर्धारित मापदडों के अनुरूप होती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाहय हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होता है।
- मेले के माध्यम से स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है। जिससे नियोजनप्रतिष्ठान की छबि आम जन मानस के मध्य उज्जवल होती है, जो जनता के मध्य प्रतिष्ठान की संवेदनशीलता को प्रगट करती है।
- स्थानीय लोगों की भर्ती से जनता एवं प्रतिष्ठान के मध्य सौहार्दपूर्ण वातातरण हमेशा बना रहता है, जो किसी भी प्रतिष्ठान के उन्नति में हमेशा सहायक बनती है।
- शासन द्वारा आयोजित रोजगार मेलों से रिक्तियों की पूर्ति होने से शासकीयअधिनियमों का पालन भी सुनिश्चित होता है, जो नियोजकों पर नियम उल्लंघन केकारण होने वाली शासकीय कार्यवाहियों से मुक्ति प्रदान करता है।

रोजगार इच्छुकों के लिए लाभः–

रोजगार मेला रोजगार इच्छुक आवेदकों के लिए भी वरदान है, क्योंकि

- आवेदकों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी एक ही स्थल पर निःशुल्क प्राप्त होती है।
- उन्हें आवेदन पत्र भरने, विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करने में लगने वाले व्यय इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है।
- आवेदकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक ही स्थल पर अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ के चयन सबंधी छूट स्वयं आवेदक का होता है।

IV - अब तक आयोजित रोजगार मेलों की उपलब्धियांः–

प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजनश्रंखलाबद्ध रूप से किया जा रहा है । अब तक जांजगीर, रायगढ़ तथा दुर्ग शहर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन मेलों में बड़ी संख्या

में रोजगारसहायता इच्छुक आवेदक उपस्थित हुए तथा प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नियोजकों ने इन मेलों में अपनी सहभागिता देते हुए रिक्तियों की पूर्ति रोजगार मेलों के माध्यम से की है, जिनमे जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़, सिम्पलेक्स इडं स्ट्री भिलाई, बीइसी भिलाई, जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा एस0बी0आई0 लाइफ, बजाज एलायन्स, रिलायन्स इशोंरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे बड़े सेवा प्रतिष्ठान भी सम्मिलित है।

..4...